संख्या-1090/XXVIII(3)-2004-12/2004सी.एम.

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक : 18 मार्च ~~जनवरी~~, 2005

विषय: सामु0स्वा0 केन्द्र सहसपुर, जनपद देहरादून के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/सी.एम.सी./38/2004/ 27825 दिनांक 20.11.2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 में के सामु0 स्वा0 केन्द्र सहसपुर जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु रू0 1,27,65,000=00 (रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष में रू0 40,00,000.00 (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0जल निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विरसंबन्ध विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

...र्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11- आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाए।

15- उक्त व्यय लेखानुदान वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 0302 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-15 के अनुसार 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- एलोपैथी 05- रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण-00- 24-वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन की जायेगी ।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 1030/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 14.3.05 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-1090/XXVIII(3)-2004-12/2004सी.एम. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून ।
6- परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0सी0एन्ड0डी0एस0जल निगम उत्तरांचल।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 1090/xxviii(3)-2004-12/2004 सी0एम0 दिनांक 18.3.05 का संलग्नक।
नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (वित्तीय वर्ष 2004-05)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- एलोपैथी, 05-रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण 24-वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 0302-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तृत अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			क. रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण योजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। ख. सामु0 स्वा0के0 के भवन निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
27452	–	3548	23904	4000	23828	23452	
योग 27452	–	3548	23904	4000	23828	23452	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

NIC-1383

(07)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 1036 / वित्त अनु0-2/05
देहरादून : दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

संख्या 1090/xxviii(3)-2004-12/2004 सी0एम0 दिनांक का संलग्नक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव